

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : डॉ. बजरंग सिंह, आर.ए.एस.

रसद विविध :: 19/2025

जी.सी.एम.एस.नम्बर : 2025/125

प्रार्थी:-	बनाम	अप्रार्थी:-
सरकार जरिये प्रवर्तन अधिकारी पाली		गीतेश पुत्र राजेन्द्र कुमार, निवासी 18 बापु नगर पाली शहर हाल प्रोपराईटर प्रतिष्ठान मैसर्स नवेद्यम फास्ट ब्रेक 170 वीर दुर्गादास नगर पाली

“प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6(ए) आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955”

उपस्थित :-

1. प्रार्थी स्वयं उपस्थित।
2. अप्रार्थी स्वयं उपस्थित।

:- निर्णय :-

दिनांक:- 28/04/2025

प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत प्रस्तुत कर अप्रार्थी द्वारा घरेलु गैस सिलेण्डरों को अवैध रूप से व्यावसायिक उपयोग संग्रहण एवं भण्डारण कर द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय, वितरण एवं विनियमन) आदेश 2000 के क्लॉज 3ए,सी की अवहेलना कर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 अन्तर्गत दण्डनीय अपराध करने से 02 जब्तसुदा सिलेण्डरों (एचपी कम्पनी) को राज्यसात करने हेतु प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

प्रार्थी ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में वर्णित कथनो को दौहराते हुए कथन किया कि दिनांक 27.03.2025 को मन प्रवर्तन अधिकारी पाली हमराह भरत कुमार, प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा संयुक्त रूप से गैस सिलेण्डर की अवैध रिफिलींग एवं घरेलु गैस सिलेण्डरों का अवैध व्यावसायिक उपयोग की रोकथाम हेतु भ्रमण के दौरान अप्रार्थी के प्रतिष्ठान मैसर्स नवेद्यम फास्ट ब्रेक 170 वीर दुर्गादास नगर पाली पर पहुंचे। मौके पर गीतेश उपस्थित मिला, जिन्होंने खुद को फर्म का प्रोपराईटर होना बताया। मौके पर रूबरू मौतबिरान बलवीरसिंह पुत्र अर्जुनसिंह निवासी नया गांव पाली शहर एवं राजेन्द्र कुमार पुत्र कन्हैयालाल, निवासी बापु नगर, पाली शहर की उपस्थिति में प्रतिष्ठान की जांच के दौरान 02 घरेलु गैस सिलेण्डर (14.02 किग्रा) एचपी कम्पनी के पाये गये। मौके पर अप्रार्थी स्थायी चुल्हे पर घरेलु गैस सिलेण्डर लगा कर व्यजन बना रहा था। जिनके बारे में फर्म मालिक से पुछने एवं मौके पर आवश्यक दस्तावेज मांगने पर प्रस्तुत नहीं किये एवं न ही



(Handwritten signature)

अति. जिला कलेक्टर पाली

कोई संतोषप्रद जवाब दिया। जिस पर गैस सिलेण्डरों के अवैध रूप से भण्डारण एवं व्यावसायिक उपयोग में लिए जाने पर गैस सिलेण्डरों का उपयोग रोकवाया जाकर मौके पर मैसर्स पाली गैस सर्विस, पाली के प्रतिनिधि द्वारा हैंगिंग स्केल से तौल करवाने पर निम्न सारणी-1 के अनुसार स्थिति पाई गई :-

सारणी-1

(वजन Kg.मे)

क्र. सं.	नाम	कम्पनी	सिलेण्डर पर एलपीजी उपदर्शित मानक भार/क्षमता	भरे हुये सिलेण्डर का वजन	खाली सिलेण्डर का वजन	शुद्ध गैस का वजन	सिलेण्डर नम्बर
1	घरेलू गैस सिलेण्डर	HPCL	14.200	22.000	15.900	6.100	265278
2	घरेलू गैस सिलेण्डर	HPCL	14.200	26.000	15.900	8.100	284402

इस प्रकार उपरोक्तानुसार सारणी-1 में वर्णित गैस सिलेण्डर को जब्त कर वजह सबूत कब्जे में लेकर अग्रिम आदेश तक सुरक्षित रखने हेतु दिलीप मंडल पुत्र विमल मंडल निवासी नया गाव पाली शहर हाल प्रतिनिधि मैसर्स पाली गैस सर्विस, पाली को सुपुर्दगीनामे पर सुपुर्द किया गया। उपरोक्त कार्यवाही के मौके पर उपलब्ध मोबाईल फोन से फोटोग्राफ्स लिये गये जो वजह सबूत पत्रावली संलग्न है व निरीक्षण पर्चा मय फर्द अभिग्रहण एवं सुपुर्दगीनामा अलग से तैयार किया गया। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा उपरोक्त घरेलू गैस सिलेण्डरों का अवैध भण्डारण एवं व्यावसायिक उपयोग में लेना आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 के अन्तर्गत जारी आदेश द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय, वितरण एवं विनियमन) आदेश, 2000 के क्लोज 3ए, सी के उपबन्धों की अवहेलना की है, जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के प्रस्तुत कर निवेदन है कि जब्तसुदा 2 गैस सिलेण्डरों को राज्यसात (Confiscate) करने के आदेश प्रदान करावे।

अप्रार्थी ने वक्त बहस कथन किया कि अप्रार्थी ने हाल ही में नया व्यवसाय शुरू किया है जिस कारण उसे इस बात का ध्यान नहीं रहा और घरेलू गैस सिलेण्डर का उपयोग प्रतिष्ठान पर किया। हालांकि इस बात का ज्ञान होने एवं उपरोक्त कार्यवाही होने के उपरान्त मेरे द्वारा वर्तमान में केवल व्यावसायिक सिलेण्डर ही उपयोग में लाये जा रहे हैं। अज्ञानतावश मेने प्रतिष्ठान पर घरेलू गैस सिलेण्डर का उपयोग कर लिया जो कि मेरी प्रथम गलती थी आईन्दा मेरे द्वारा ऐसी गलती पुनः नहीं दोहरायी जायेगी। इसलिये मेरी उक्त गलती को माफ करते हुये प्रार्थी द्वारा जब्तसुदा गैस सिलेण्डर को पुनः लौटाया जावे।

हमने उभयपक्ष की श्रवणसुदा बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी के प्रतिष्ठान मैसर्स नवेद्यम फास्ट ब्रेक 170 वीर दुर्गादास नगर पाली पर घरेलू गैस सिलेण्डर का अवैध रूप से व्यावसायिक उपयोग की रोकथाम हेतु भ्रमण दौरान



अति. जिला कलेक्टर पाली

पहुंचे, जहां पर अप्रार्थी एवं मौके पर रुबरु मौतबिरान बलवीरसिंह पुत्र अर्जुनसिंह निवासी नया गांव पाली शहर एवं राजेन्द्र कुमार पुत्र कन्हैयालाल, निवासी बापू नगर, पाली शहर की उपस्थिति में अप्रार्थी की फर्म का निरीक्षण करने पर अप्रार्थी की फर्म में कुल 02 गैस सिलेण्डर एचपी कम्पनी के पाये गये, जो मौके पर स्थायी चूल्हे से लगे हुये थे और उस पर व्यंजन बनाये जा रहे थे। अर्थात् उक्त गैस सिलेण्डर का अप्रार्थी द्वारा व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा था। उक्त गैस सिलेण्डर के उपयोग के बारे में अप्रार्थी ने कोई सन्तोषप्रद जवाब नहीं दिया और न ही इसके सम्बन्ध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत किये, जिसकी ताईद प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निरीक्षण पर्चा से होती है।

इसके अतिरिक्त प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मौकाफर्द के अवलोकन से भी यह जाहिर होता है कि घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यावसायिक उपयोग हो रहा था, जिस पर प्रार्थी द्वारा उक्त घरेलू गैस सिलेण्डरों का व्यावसायिक उपयोग रूकवाकर हैमिंग स्केल द्वारा तौल किया एवं गैस सिलेण्डर कब्जे में लेकर मैसर्स पाली गैस सर्विस, पाली को सुपुर्द किया। प्रार्थी द्वारा उपरोक्त समस्त कार्यवाही मौके पर द्रवित गैस, पेट्रोलियम गैस (प्रदाय, वितरण एवं विनियमन) आदेश, 2000 के तहत की है। जिससे यह स्पष्ट है कि अप्रार्थी द्वारा द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय, वितरण एवं विनियमन) आदेश, 2000 के उपबन्धों की अवहेलना की है। लिहाजा उक्त जब्तसुदा घरेलू गैस सिलेण्डर को राज्यसात (Confiscate) किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

परिणामस्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थी द्वारा अपने प्रतिष्ठान पर उपरोक्त सारणी-1 में वर्णित 02 घरेलू गैस सिलेण्डर का अवैध व्यावसायिक उपयोग किए जाने पर जब्तसुदा गैस सिलेण्डरों के अवैध भण्डारण एवं उपयोग कर द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय, वितरण एवं विनियमन) आदेश, 2000 के क्लोज 3ए, सी के उपबन्धों की अवहेलना किये जाने से उक्त 02 गैस (एचपी कम्पनी) सिलेण्डरों को राज्यसात (Confiscate) किया जाता है। निर्णय की सत्यप्रति जिला रसद अधिकारी, पाली को प्रेषित कर आदेशित किया जाता है कि जब्त सुदा घरेलू गैस सिलेण्डरों को सुपुर्ददार से प्राप्त कर राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक F 8618/खा.ले./नीति/6A/2020 जयपुर दिनांक 19.08.2000 एवं उसकी पालना में खादय एवं नागरिक रसद विभाग द्वारा जारी पत्रांक F04{23} खा.ले./नीति/6A/89 जयपुर दिनांक 16.11.1999 के अनुरूप ही जब्तसुदा गैस सिलेण्डरों के निस्तारण की कार्यवाही की जावे।

निर्णय आज दिनांक 28/04/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. बजरंग सिंह)

अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
अति. जिला कलक्टर, पाली

